



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था

पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977

GSTIN-23AAAAU0051C1ZB



PAN No. AAAAU0051C

पैकड दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रतलाम शहर में निर्धारित मार्ग पर साँची पैकड दूध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। परिवहनकर्ता नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.02.2026 को www.mptenders.gov.in से रु. 500/- के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 20.02.2026 समय 12:00 बजे तक
3.	ई-निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.02.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु 25000/- (राशि रु. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकार को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु 500/- ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ,भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

रतलाम शहर में साँची पैकड दूध एवं दुग्ध उत्पाद
परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
वर्ष 2026—29



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था

पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977

GSTIN-23AAAAU0051C1ZB



PAN No. AAAAU0051C

पैकड दूध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक 06.02.2026 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से |
| 2 | ई-निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 20.02.2026 समय 12:00 बजे तक |
| 3 | तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | दिनांक 23.02.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि | रु. 25,000/- (एक पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से |
| 5 | पैकड दूध व उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु "आवश्यक अर्हताएं" का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 | पैकड दूध व उत्पादों परिवहनकर्ता कार्य की सामान्य शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 | पैकड दूध व उत्पादों परिवहनकर्ता हेतु निविदा प्रपत्र | प्रपत्र 04 |
| 8 | "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।

आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रपत्र क्रमांक 08 में रतलाम शहर के निर्धारित मार्गों में साँची दूध परिवहनकार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित द्वितीय ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/ कन्सोटीयम/Joint venture /कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/कंपनी/ कन्सोटीयम/Joint venture की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	निविदाकार फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल		निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture

	स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।
1.5	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो तथा किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा. न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं हों।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराइज्ड (टिकट सहित) स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.6	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र. 08 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2022 के हो अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 100/- के नोटराइज्ड (टिकट सहित) स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के क्र. 06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।
1.7	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) दूध परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस /पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस/पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.8	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम. डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.25000/- (पच्चीस हजार रुपये) की रसीद संलग्न करें।
1.9	निविदाकार को (फर्म/कम्पनी/एकल		तदाशय की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

	स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) वित्तीय वर्ष 2021-2022 2022-2023 एवं 2023-2024 का आयकर रिटर्न (Acknowledgement) संलग्न करना अनिवार्य है।		
1.10	MSME की प्रति संलग्न करें।		केवल म.प्र. के MSME उद्यमियों को ई. एम.डी. राशि में छूट की पात्रता होगी अन्य किसी राज्यों के उद्यमियों को नहीं।

- नोट:-(1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कन्सोटीयम/Joint venture फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____

पैकड साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. केवल एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट में पात्रता होगी अन्य किसी भी राज्यों के उद्यमियों के लिए नहीं। यदि अन्य राज्यों के एम.एस.एम.ई. उद्यमियों के द्वारा ई.एम.डी. राशि में छूट ली जाती है तो ऐसे निविदाएं स्वतः निरस्त होंगी।
2. प्रतिभागी निविदाकार के पास प्रपत्र क्र. 08 में दर्शाए मार्ग के स्वयं के नाम से सम्मुख वाहन की क्षमता एवं वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2022 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्षों के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में पफ इंसूलेशन 02 इंच जिसमें तापमान 02 से 04 डिग्री निर्धारित हो, इंसूलेटेड वाहन का होना अनिवार्य है। स्वयं के नाम से नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करेंगे।
- 2.1 चयनित निविदाकार को आवश्यक क्रेट क्षमता 200 के इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध करवाने होंगे। निर्धारित वाहन से पैकड साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी सुबह एवं शाम पाली में की जानी होगी।
- 2.2 सफल निविदाकार जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हें एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणों से नया वाहन एवं वाहन संबंधी समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
- 2.3 निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है। जिसे केवल सफल निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः निविदाकार अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
- 2.4 सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रु 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) जो कि पेयबल एट उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय होगा ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होगा। तदुपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के उपरांत निर्धारित अवधि में ऑनलाईन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि, वाहनो के समस्त वांछित दस्तावेज दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा नियत समय में जमा न करने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
4. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
5. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
6. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

7. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
8. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा। जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं औसतन लीटर के आधार पर की जाएंगी।
10. प्रतिभागी निविदाकार विपणन मार्ग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही प्रति लीटर पर अपनी दरें समस्त व्यय एवं कर व टोल सहित प्रस्तुत करेंगे। मार्ग का विवरण प्रपत्र क्र. 08 में उल्लेखित है।
11. निविदा प्राप्ति की तिथी व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
13. निविदाकार यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छाट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
14. सफल निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
15. प्रतिभागी निविदाकार निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।
16. निविदाकार परिवहनकार्य संबंधी प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें। आवश्यक अर्हताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की काट छाट न करें एवं ओवरराइटिंग न करें। अन्यथा शब्दों में भिन्नता एवं ओवरराइटिंग पाये जाने पर ऐसी निविदाएं निरस्त होंगी।
17. निविदाकार निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करे अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

18. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ एक माह के अंदर औपचारिकताएं पूर्ण करने के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का निर्णय सर्वोपरी होगा।
19. प्रतिभागी निविदाकार यदि निविदा/मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने के 05 दिवस पूर्व निविदा संबंधी वांछित जानकारी उज्जैन दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 20 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पता
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/कंसोर्टियम/ज्वाइंट वेंचर)



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था

पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्र.03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) प्रति लीटर.
1.	रतलाम शहर	PER LTR

नोट:— निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था

पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्र.04

पैकड दूध व उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व/कंसोर्टियम/ज्वाइंट वेंचर)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस (अनिवार्य रूप से अंकित करें अन्यथा निविदा अमान्य की जाएगी।)
6. पैकड दूध व उत्पाद के परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
8. (अ) पेन नम्बर
(ब) FSSAI
(स) आधार कार्ड नम्बर.....
9. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर
(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची पैकड दूध व उत्पाद के परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

शपथ पत्र का प्रारूप
केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा रतलाम शहर में पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप
केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मै/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा रतलाम शहर में दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान के इंसूलेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न करूंगा। इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह

नाम:-

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)
साँची पैकड दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकार्य अनुबंध
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन / वितरण हेतु अनुबंध-प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक.....
 को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, मक्सी रोड़,
 उज्जैन जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/
 कंसोर्टियम/ज्वाइंट वेंचर) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित
 किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व
 पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता का कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन के **रतलाम शहर**
 के निर्धारित मार्ग पर समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट
 दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अनुबंधित वाहन क्रमांक से प्रथम पक्ष
 द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई-निविदा में निविदा प्रस्तुत किया है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें
 आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा पर परिवहन दर रु.
 प्रति लीटर स्वीकार किया गया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह
 की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष
 का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम
 पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. यह कि पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर
 अपने इंसूलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम
 पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा
 सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रों में
 केन्द्र बढ़ाने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा, इसके अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों पर वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन
 में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में
 वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर रतलाम डेरी में चालान के अनुसार
 संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही
 क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये
 जायेंगे, उतने क्रेटों की वर्तमान प्रचलित क्रेटों की दरों पर गणना कर उतनी कीमत की राशि
 द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक में से काटी जावेगी।
 (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध पैकेट्स की मात्रा द्वितीय पक्ष को
 चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की दशा में समस्त
 जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी एवं यदि दुग्ध पैकेट्स में किसी प्रकार की कमी पाई गई
 तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
5. (1) यह कि द्वितीय पक्ष इंसूलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के
 नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक संघ के
 वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले
 दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारिश/पुलिया के ऊपर पानी
 बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि

- वह दूसरी गाड़ी भेजकर/दूसरा इंतजाम करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से कटौती कर वसूल किया जायेगा।
6. यह कि वाहन की खराबी अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दूध खराब होने/दुग्ध वापस आने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।
 7. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-
 - (1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।
 - (2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष से वसूल किया जावेगा।
 9. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
 - 9.1 द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा-जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटे दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में वर्तमान प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी।
 - 9.2 द्वितीय पक्ष खाली क्रेटों का लेखा-जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - 9.3 दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरणकों को प्रदाय करेगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
 10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेट्स एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जावेगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 11. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
13. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
14. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
15. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी इंसूलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। यदि 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा में अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
- 15.1 यह कि यदि द्वितीय पक्ष, किसी भी कारणवश अनुबंधित वाहन से अनुबंध अवधि में दूध वितरण निर्धारित समय पर नहीं कर पा रहा है एवं उक्त वाहन के स्थान पर समान क्षमता का इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध कराकर दूध वितरण कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन के स्थान पर अन्य इंसूलेटेड वाहन लगाए जाने के पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा न करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट करने अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
16. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार-बार पुनरावृत्ति होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
17. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। परिवहन देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
18. वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/प्रभारी डेयरी डाक विपणन द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।

19. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक सेतक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
20. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
21. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे साथ ही निर्धारित समय सारणी अनुसार डेयरी संयंत्र में वाहन लोडिंग हेतु उपलब्ध करावें यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
22. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
23. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली प्रथम पक्ष की सहमति से की जा सकेगी।
24. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
25. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध वितरण अनुबंधित दरो पर समय पर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करते पाए जाने एवं दुग्ध संघ स्तर से वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण करने की दशा में उस दिवस का जो भी व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा, का द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जाएगा।
26. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
27. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
28. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 "साँची दूध परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगे।
29. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को नियमानुसार अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी।

30. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

मैं आत्मज/पति/पत्नी..... परिवहनकर्ता मार्ग
.....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती
हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
.....

1. गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....
.....

2. गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....
.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.

मार्ग का विवरण

क्र.	मार्ग का विवरण	परिवहन कार्य प्रति लीटर पर
1	सम्पूर्ण रतलाम शहर	
विक्रय लीटर प्रतिदिन		— औसतन 1800 लीटर
नोट	वाहन मॉडल का निर्माण वर्ष एवं पंजीयन 2022 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्ष के हो एवं प्रति वाहन क्षमता 200 क्रेट अथवा उससे अधिक का वाहन होना आवश्यक है।	

नोट:— रतलाम शहर के सम्पूर्ण मार्गों की जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा अवधि में किसी भी कार्यालयीन दिवस पर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।